

२४ ५
२०२५

पत्रावली पेय है।

वकील जार्ज उपस्थित।

प्रकरण में ज. पत्र अद्योहस्ताक्षरकता
के न्यायालय में दिनांक २१/१२/२०२२ को
किये गये निर्णय को रिव्यू करने हेतु
प्रस्तुत किया। परन्तु ~~प्रकरण~~ निर्णय
के विरुद्ध अननीय अतः संभागीय आयुक्त
न्यायालय में अपील होने के बाद मूल
पत्रावली उ न्यायालय को प्रेषित कि
जा चुकी है अतः प्रकरण छोड़ा गया
अनुतोष ~~अ~~ अपील बाद स्वतः समाप्त
हो गया। अतः उक्त ~~अ~~ रिव्यू प्रयत्न
पत्र को ~~कोई न्यायालय~~ चलाने का कोई
औचित्य उत्पन्न नहीं होता है। पत्रावली
इसी स्तर पर खारिज कि जाती है।
पत्रावली फैसल समार होकर दाखिल
दफ्तर है।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली